

**बिहार सरकार,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008 60(अमि) /खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफतुआर,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता, हेतु विपत्र कोड सं0-पी0-3456001930101, मांग सं0-18, राज्य योजना के विषयशीर्ष 28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-381 दिनांक 06.01.2016 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अधीन आवश्यक वस्तुओं के उदात्त वितरण की निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु राज्य/ जिला / प्रखंड/ शहरी/ वार्ड / पंचायत स्तरीय निगरानी समिति, अनुमंडल अनुश्रवण समिति एवं पटना अनुभाजन अनुश्रवण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने पर बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि को वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 396/वि0 दिनांक 24.04.2015 में निहित निदेश के अनुपालन में संलग्न तालिका के अनुसार कुल 1,50,00,000/- (एक करोड़ पचास लाख) रूपये मात्र को आवंटित करते हुए व्यय करने हेतु आवंटित की जाती है ।

क्रमांक	मुख्यशीर्ष	लघुशीर्ष	विषयशीर्ष	उपशीर्ष	राशि
1.	3456	193	28 01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता ।	1,50,00,000
कुल योग :-					1,50,00,000


2. यह राशि मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, विपत्र कोड सं0-पी0-3456001930101, मांग संख्या 18, योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में विकलनीय होगी ।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।


वि. 27/2

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा की निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।


विश्वासभाजन,

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008- 60(अन८) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008- 60(अन८) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16  
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(गै0यो0)-33/2008- 60(अन८) / खाद्य,पटना-15, दिनांक-28/01/16  
प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा- 07 एवं 05 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


  
सरकार के संयुक्त सचिव ।



मुख्यशीर्ष 3456-सिविलपूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 193 नगर  
पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता,  
उपशीर्ष 0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति, मांग सं०-18  
विपत्र कोड संख्या- पी० 3456001930101 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष  
2015-16 हेतु आवंटन विवरणी:-

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत राशि
1	पटना	394736
2	नालन्दा	394736
3	भोजपुर	394736
4	बक्सर	394736
5	रोहतास	394736
6	भभुआ	394736
7	गया	394736
8	जहानाबाद	394736
9	अरवल	394736
10	औरंगाबाद	394736
11	नवादा	394736
12	सारण	394736
13	सीवान	394736
14	गोपालगंज	394736
15	मुजफ्फरपुर	394744
16	वैशाली	394736
17	सीतामढ़ी	394736
18	शिवहर	394736
19	प० चम्पारण	394736
20	पूर्वी चम्पारण	394744
21	दरभंगा	394736
22	मधुबनी	394744
23	समस्तीपुर	394744
24	सहरसा	394736
25	सुपौल	394736
26	मधेपुरा	394736
27	पूर्णिया	394736
28	अररिया	394736
29	किशनगंज	394736
30	कटिहार	394736
31	मुंगेर	394736
32	जमुई	394736
33	लखीसराय	394736
34	शेखपुरा	394736
35	बेगूसराय	394736
36	खगड़िया	394736
37	भागलपुर	394736
38	बाँका	394736
कुल योग:-		15000000

रुपये (एक करोड़ पचास लाख) मात्र

  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

